

क्रमांक 1108/ACS/C&T/2020


भोपाल, दिनांक 4.5.2020

प्रति,

समस्त स्टेट कोर्डिनेटर
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय :- प्रवासी श्रमिकों के श्रमिक स्पेशल ट्रेन से यात्रा का किराया भुगतान बाबत।

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अन्य प्रदेशों में फंसे मध्यप्रदेश के श्रमिकों को, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लाने में लगने वाले रेल किराये का भुगतान शासन करेगा। श्रमिकों से किराया वसूल नहीं किया जायेगा। स्टेट कोर्डिनेटर इस निर्णय के क्रियान्वयन को अपने प्रभार के राज्यों के नोडल अधिकारी एवं रेलवे से समन्वय कर समुचित व्यवस्था करें।



(आई.सी.पी. केशरी)
अपर मुख्य सचिव
प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम

क्रमांक 1109/ACS/C&T/2020

भोपाल, दिनांक 4.5.2020

प्रतिलिपि :-

1. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय
2. श्री एस.एन.मिश्रा, प्रमुख सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग भोपाल
3. श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग भोपाल
4. श्री मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, नव एवं नवकरणीय उर्जा, एमएसएमआई विभाग
5. श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास
6. श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव, खनिज साधन, उच्च शिक्षा
7. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग
8. श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग
9. श्री किरण गोपाल, प्रबन्ध संचालक, पूर्व क्षेत्र विद्युत कं. जबलपुर
10. श्रीमती आइरीन सिथिया,
11. श्री टी.इलैया राजा,
12. श्री श्रीनिवास वर्मा, आई.जी. कानून-व्यवस्था
13. श्री मधु कुमार, आयुक्त परिवहन म.प्र
14. संभागीय आयुक्त, सूचनार्थ

